न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 18/2024
GCMS Case No. : 2024/248

अपीलाण्ट –	बनाम	रेस्पोडेण्ट –
पाबूराम पुत्र मंगलाराम जाति बावरी निवासी ग्राम सुरायता, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. तहसीलदार सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली 2. अर्जुन पुत्र ताराराम, जाति बावरी निवासी ग्राम सुरायता तहसील सोजत जिला पाली 3. विक्रम पुत्र खुमाराम जाति मेघवाल निवासी बेरा घोलीवाडी, मेला का चौक सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली 4. दीपाराम पुत्र ताराराम, जाति बावरी निवासी ग्राम सुरायता तहसील सोजत जिला पाली 5. पोकर पुत्र आदियाजी, जाति बावरी निवासी ग्राम सुरायता तहसील सोजत, जिला पाली 6. हजारीराम पुत्र जेठाराम, जाति बावरी निवासी ग्राम सुरायता तहसील सोजत जिला पाली

"राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विरमाराम मीणा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भाटी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ पाली (राज.) ★

–:: आदेश ::–

दिनांक 13/08/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक/राजस्व/कैम्प./2021/832 दिनांक 23.11.2021 सहमति बंटवारा आदेश के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 6 वक्त बहस अनुपस्थित होने एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकलातन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम सुरायता तहसील सोजत के खसरा संख्या 2441 रकबा 3.8800 हैक्टेयर कृषि भूमि के 2/3 हिस्सा का खातेदार अपीलाण्ट पाबुडा एवं शेष 1/3 हिस्से का खातेदार जेठीया, आदिया, तारीया पिता मंगला थे, जो अपने जीवनकाल में अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर सामलाती काबिज काश्त थे। जैर आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदारों ने जैर आराजी जरिये बेचाण हस्तान्तरण कर दी, जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 एवं शेष भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 5 ,6 काबिज काश्त है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 6 ने जैर आराजी की सामलाती कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश किया और अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 11.01.2022 को स्वीकृत किया गया लेकिन उसके एक दिन पूर्व ही उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प सुरायता में बंटवाडे हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर कही पर भी अपीलाण्ट के हस्ताक्षर या अगुंष्ठ निशान अंकित नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 अपनी खातेदारी भूमि से अधिक भूमि प्राप्त करना चाहता है, जिससे मेरी भूमि कम हो रही है और रेस्पोडेण्ट मेरी भूमि में आ रहे है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की अनुपस्थित में जारी किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से सहायक कलक्टर, सोजत में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 178/2022 में पेशी दिनांक 20.06.2024 का नोटिस आने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2024(1) DNJ (Rev.) 767 Radhakishan Sharma vs Kaushalya पेश कर विधिविरूद्ध तरीके से जारी अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुये दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी का आपसी सहमति बंटवाडे का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते समय अपीलाण्ट स्वयं तहसीलदार सोजत के समक्ष उपस्थित थे, जिस बाबत् प्रार्थना–पत्र एवं बंटवाडे पर अपीलाण्ट के अगुंष्ठ निशान भी है एवं गवाह के रूप में पाबूराम के पुत्र के फोटो व हस्ताक्षर है। वर्तमान में मौके पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही काबिज है। विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी 23.11.2021 से ही थी और अपीलाण्ट ने अपील मीमों में गलत तथ्य पेश कर उक्त आदेश की जानकारी वर्ष 2024 में होना बताया। अपीलाण्ट ने जैर अपील जानकारी के लगभग 2 वर्ष 5 माह बाद पेश की, इसलिये जैर अपील म्याद बाहर है। न्यायालय द्वारा पत्थरगढी का आदेश हो चुका है परन्तु मौके पर पत्थरगढी नहीं हुई है। अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा बिना विधिक आदेश के प्रस्तुत जैर अपील को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए, सभी खातेदारों की उपस्थिति में उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक/राजस्व/कैम्प/2021/832 दिनांक 23.11.2021 सहमति बंटवारा आदेश के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने म्याद प्रार्थना–पत्र में यह तथ्य अंकित किया कि अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से सहायक कलक्टर, सोजत के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का नोटिस मिलने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलाण्ट अनपढ, वृद्ध व्यक्ति होने से कानूनन जानकारी नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ फरमाकर अपील अन्दर म्याद शुमार करे। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता अपीलाण्ट के उक्त उज्रों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23.11.2021 से ही थी क्योंकि आपसी सहमति बंटवारा प्रार्थना–पत्र एवं नजीर नक्शे पर अपीलाण्ट के अगुंष्ठ निशान है। अपीलाण्ट ने जैर अपील लगभग 2 वर्ष 5 माह की देरीना पेश की इसलिये उक्त अपील म्याद बाहर है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रशासन गांवों के संग, अभियान 2021 कैम्प सुरायता दिनांक 23.11.2021 को अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 6 के द्वारा आपसी सहमति बंटवारा प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जिस पर रेस्पोडेण्ट के साथ अपीलाण्ट पाबूडा का भी अगुंष्ठ निशान है तथा प्रार्थना–पत्र की पुश्त पर आपसी बंटवारा का नजरी नक्शा बना हुआ है, जिस पर सभी खातेदारों के फोटों लगे हुये व उनके हस्ताक्षर/अगुंष्ठ निशान भी है। साथ ही गवाह के रूप में अपीलाण्ट के पुत्र के भी हस्ताक्षर अंकित है, इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 23.11.2021 पर भी अपीलाण्ट का अगुंष्ठ निशान है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न सीमांकन की मौका फर्द एवं खातेदार अपीलाण्ट के आधार कार्ड पर भी उनके अगुंष्ठ निशान है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट को जैर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.05.2016 को ही हो गयी थी उसके उपरान्त भी उनके द्वारा हस्तगत अपील लगभग 2 वर्ष 5 माह की देरीना न्यायालय में पेश की और उक्त देरीना का कोई सन्तोषप्रद कारण भी पेश नहीं किया इसलिये उक्त अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

जहां तक अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, के शमन का प्रश्न है, तो इस बिन्दु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अपने निर्णयों में व्यवस्थाऐं प्रदान की हैं। इस सम्बन्ध में आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 939 डी. गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–विलम्ब का उपशमन–अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब–उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नहीं कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नहीं है व अपास्त किया।" इसी प्रकार RRD May, 2007 page 311 में यह प्रतिपातिदत किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कि Limitation Act, Section 5-C.P.C., Section 100-delay in filling secong appeal-judgment passed by first appellate court on 16-08-2003-Appeal field by appellant on 19-12-2003 claiming knowledge of judgment on 07.12.2003 No explanation given for not filling appeal immediately-Held, appellant was taking the matter leisurely and at his own convenience-Delay, not condoned. इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिंह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–5–सिविल प्रक्रिया संहित 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नहीं बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नहीं – विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" उपरोक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रही हो तथा उक्त कारण के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण हस्तगत अपील परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में विलम्ब को क्षमा करने हेतु जो आधार लिए गए है, वह प्रकरण की वस्तुस्थिति से परे होने से भी उक्त अपील प्रथमदृष्टया म्याद बाहर है।

अब यदि प्रकरण को गुणावगुण की दृष्टि से देखा जाये तो प्रश्नगत आपसी सहमति बंटवाडा सभी खातेदारों की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में किया गया, जिस बाबत् उक्त आदेश पर उनके हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। पत्रावली के संलग्न सीमाकंन मौका फर्द से इस तथ्य का ओर अधिक मजबूती मिलती है क्योंकि आपसी बटंवारे से एक दिवस पूर्व भू.अ.नि. द्वारा सभी खातेदारों की उपस्थिति में मौके पर उनके हिस्से में आने वाली भूमि के बारे में उन्हें अवगत करवाया गया, जिस पर सभी खातेदारों की सहमति एवं उनके हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है इसलिए अपीलाण्ट का यह कहना कि उक्त आदेश अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में बाले–बाले स्वीकार किया गया, स्वीकार योग्य नहीं है। यदि सभी खातेदारों ने बिना आपत्ति के तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर सहमति दी है और आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह बंटवारा विधिसम्मत माना जाता है एवं यदि बंटवारा राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है, तो यह और अधिक वैधानिक बल प्राप्त कर लेता है। अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन कि रेस्पोडेण्ट अपीलाधीन आदेश की आड में मेरे हिस्से की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे है। यदि बंटवारा कानूनन सही तरीके से किया गया है, तो यह तर्क कि मेरे हिस्से की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, उस बंटवारे को अमान्य नहीं बना सकता। ऐसा विवाद केवल स्वामित्व या कब्जे से सम्बन्धित होता है, न कि बंटवारे की वैधता से। राजस्व अधिकारी द्वारा सहमति से किया गया बंटवारा यदि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सभी पक्षों की उपस्थिति व हस्ताक्षर से हुआ है, तो यह प्रमाणिक माना जाएगा। साथ ही जब कोई दस्तावेज लिखित रूप से मौजूद हो, तो मौखिक दलीलों से उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। चूंकि बंटवारा आपसी सहमति, तहसीलदार की उपस्थिति और हस्ताक्षर के माध्यम से हुआ, इसलिये वह कानूनी रूप से वैध है। बाद में किसी एक खातेदार द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाना, बंटवारे की वैधता को प्रभावित नहीं करता। तहसीलदार के समक्ष सभी खातेदारों की आपसी सहमति व हस्ताक्षर के साथ किया गया बंटवारा राजस्व रेकर्ड में वैध प्रविष्टि के रूप में स्वीकार्य होता है। जब सभी पक्षों ने सहमति दी और किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, तो यह मान लिया जाता है कि सभी पक्ष अपनी हिस्सेदारी से संतुष्ट थे। सभी खातेदारें के हस्ताक्षर लेखबद्ध सहमति (Written Consent) का प्रमाण होता हैं। यह दस्तावेज बाद में किसी प्रकार की आपत्ति की स्थिति में प्राथमिक साक्ष्य होता है। जब खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा होता है, तो प्रत्येक खातेदार को उसकी हिस्सेदारी के अनुसार भूमि का स्वतंत्र उपयोग का अधिकार मिल जाता है। यह भी सिद्ध करता है कि बंटवारे के बाद हर व्यक्ति की भूमि स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाती है। बंटवारा होने के पश्चात और भूमि चिन्हित है, तो अब विवाद केवल कब्जे के निर्धारण तक सीमित रहता है, बंटवारे की वैधता पर नहीं। जब कोई व्यक्ति पहले सहमत रहा और बाद में विरोध कर रहा है, तो यह न्यायालय के समक्ष एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास (malicious intent) माना जा सकता है। यदि किसी पक्ष को बंटवारे से आपत्ति थी, तो उसे तुरंत आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। बहुत समय बाद आपत्ति दर्ज करना न्याय की दृष्टि से अनुचित विलम्ब (unreasonable delay) माना जाता है अगर अपीलाण्ट को कब्जे से सम्बन्धित समस्या है, तो वह उस बाबत् पृथक से विधिक उपचार हेतु स्वतंत्र है लेकिन उसकी आड में बंटवारा रद्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड से यह साबित है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23.11.2021 से ही थी परन्तु अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील के संलग्न परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उपरोक्त तथ्यों को छिपा कर तर्क दज किये है जो प्रथदृष्टया ex facie falls कथन है। यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2010 DNJ (SC) Page 294 Oriental Aroma Chemical Industried Ltd. vs Gujarat Industrial Development Coroporation & Anr. में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें यह व्यवस्था प्रदान की है " Limitation Act, 1963-Sec. 5-Condonation of delay-Delay of more than 4 years in filling appeal-Delay condoned-Dispute of levy of minimum charges for water for the period between 1978 and 16.4.2001-Respondent defendant did not appear and no written statement filed-Suit decreed on 30.10.2004-Appeal against the judgment filed after 4 years-Specific mention of decree dt. 30.10.2004 in 2nd suit in the year 2005 and after service of notice respondent did not appear and suit decreed ex parte on 12.12.2007-Respondent tried to misled the Court-Statement made by respondent is not only incorrect but is ex facie faise and High Court committed error in condoning the delay-Held, Order set aside and appeal stand dismissed being time barred. यह सिद्धान्त हस्तगत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण के तथयों पर पूर्णतया चस्पा होते है क्योंकि न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलाण्ट न्यायालय के समक्ष सद्भावित एवं साफ हाथों से नहीं आये है बल्कि गलत तथ्यों पर आधारित म्याद अवधि माफी प्रदान किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया है। न्यायालय में सत्य का महत्व सबसे ऊपर होता है। अगर कोई पक्षकार या उसका वकील जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, तो यह न्यायालय को गुमराह करना माना जाता है। ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग (abuse of process of law) माना जाता है। न्यायालयों ने कई बार यह निर्णय दिया है कि यदि कोई याचिका या अपील झूठ पर आधारित हो, तो उसे खारिज किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों मे यह कहा है कि "He who comes to the court must come with clean hands." जब कोई पक्ष न्यायालय से उचित न्याय चाहता है तो उसका परम कर्त्तव्य है कि वह "clean hands." सिद्धान्त के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आये। यदि पक्षकार ने अपने पक्ष में राहत हेतु जरूरी तथ्यों को जान–बूझकर छपाया है, तो वह equity और discretionary jurisdiction का दावा खो देता है। ऐसी याचिका बिना अच्छे कारण पर विचार किए ही खारिज की जा सकती है। माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त S.J.S. Business Enterprises vs. State of Bihar (2004)/Arunima Baruah vs. Union of India (2007) के अनुसार जहां सच्चाई छिपाई गई है और वह तथ्य मामले के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, तो न्यायालय discretionary relief देने में सक्षम नहीं होता क्योंकि पक्षकार स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं आये है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण पर विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक/राजस्व/कैम्प/2021/832 दिनांक 23.11.2021 द्वारा पारित आपसी सहमति बंटवारा आदेश को यथावत रखा जाता है। है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13\08\2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली